

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 1(1)(124)स्था/निमअ/2017/पार्ट-26336

जयपुर, दिनांक : 5/10/2020

सुश्री चन्दा वर्मा
पुत्री श्री भैरू राम वर्मा
बलाईयों का मोहल्ला, गाँव देवलियां
पोस्ट-करणसर, वाया किशनगढ रेनवाल,
जिला-जयपुर, राजस्थान-303603
मो.न.-8503904178

नोटिस

विषय:-राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2017 के अनुसार सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता के पद पर निर्धारित स्थान पर कार्यग्रहण करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक एफ1(1)(124)स्था/निमअ/2017/पार्ट-1/15007 दिनांक 18.08.2020 के क्रम में नियुक्ति आदेश की शर्त संख्या 01 के अनुसार आपको 15 दिवस में कार्यग्रहण करना था। आपके पदस्थापन जिले के अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया है कि आपने आदिनांक तक भी कार्यग्रहण/उपस्थिति नहीं दी है।

अतः आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि नोटिस जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपने पदस्थापन स्थान के जिला अधिकारी को अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करावें, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई है तो आप नोटिस जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में निदेशालय को लिखित रूप में सूचित करें।

यदि आप सुपरवाइजर के पद पर कार्यग्रहण करने की इच्छुक नहीं है तो भी निदेशालय महिला अधिकारिता को लिखित रूप से नोटिस जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में निदेशालय को अवगत करना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 1(1)(124)स्था/निमअ/2017/पार्ट-1/20365 जयपुर, दिनांक : 5¹⁰/₂₀₂₀

श्रीमती ममता भाटी
पत्नी श्री रविन्द्र प्रताप सिंह राठौड़
शिमला हाउज 2 नं. ट्यूबवैल के पास,
मैन मार्केट रोड, तिलक नगर,
जिला-बीकानेर, राजस्थान-334001
मो. नं. - 9269768380, 8424007380

नोटिस


विषय:-राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2017 के अनुसार सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता के पद पर निर्धारित स्थान पर कार्यग्रहण करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक एफ1(1)(124)स्था/निमअ/2017/पार्ट-1/15007 दिनांक 18.08.2020 के क्रम में नियुक्ति आदेश की शर्त संख्या 01 के अनुसार आपको 15 दिवस में कार्यग्रहण करना था। आपके पदस्थापन जिले के अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया है कि आपने आदिनांक तक भी कार्यग्रहण/उपस्थिति नहीं दी है।

अतः आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि नोटिस जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपने पदस्थापन स्थान के जिला अधिकारी को अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करावें, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई है तो आप नोटिस जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में निदेशालय को लिखित रूप में सूचित करें।

यदि आप सुपरवाईजर के पद पर कार्यग्रहण करने की इच्छुक नहीं है तो भी निदेशालय महिला अधिकारिता को लिखित रूप से नोटिस जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में निदेशालय को अवगत करना सुनिश्चित करावें।


अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 1(1)(124)स्था/निमअ/2017/पार्ट-1/20366 जयपुर, दिनांक :

श्रीमती विजय लक्ष्मी
पत्नी भरत कुमार स्वामी,
रघु कुज, दिखनादा बाजार, सुजानगढ़
जिला चुरू, राजस्थान - 331507
मो. नं. - 8005835040, 8690123822 T

नोटिस

विषय:-राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2017 के अनुसार सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता के पद पर निर्धारित स्थान पर कार्यग्रहण करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक एफ1(1)(124)स्था/निमअ/2017/पार्ट-1/15007 दिनांक 18.08.2020 के क्रम में नियुक्ति आदेश की शर्त संख्या 01 के अनुसार आपको 15 दिवस में कार्यग्रहण करना था। आपके पदस्थापन जिले के अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया है कि आपने आदिनांक तक भी कार्यग्रहण/उपस्थिति नहीं दी है।

अतः आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि नोटिस जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपने पदस्थापन स्थान के जिला अधिकारी को अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करावें, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई है तो आप नोटिस जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में निदेशालय को लिखित रूप में सूचित करें।

यदि आप सुपरवाइजर के पद पर कार्यग्रहण करने की इच्छुक नहीं है तो भी निदेशालय महिला अधिकारिता को लिखित रूप से नोटिस जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में निदेशालय को अवगत करना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.